भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5380

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्थाई आधार पर स्वच्छ पेयजल

5380. श्री रवि किशनः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में स्थाई आधार पर स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रदूषित जल वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्वच्छ पेयजल की शुद्धता और आपूर्ति के लिए कोई कदम उठाया है और इस संबंध में कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जल शक्ति मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शासित करता है जिसके माध्यम से यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा, जैसा कि केन्द्रीय बजट भाषण 2019-20 में घोषणा की गई थी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की परिकल्पना की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत यह मिशन वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और कृषि में पुनः उपयोग किए जाने हेतु घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्रोत स्थायित्व

के लिए स्थानीय आधारभूत अवसंरचना के निर्माण सहित स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग एवं आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

(ग) जी, हाँ। जैसा कि इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बसावटों का राज्य-वार और संदूषण-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) से (च) : पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें ही स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और प्रचालन व रख-रखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों सहित जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में स्कीमों को चलाने के लिए किया जा सकता है।

मार्च, 2016 के दौरान, नीति आयोग की सिफारिश से, विभिन्न आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश को 13.39 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।

इसके अलावा, मंत्रालय ने देश में 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत की थी। अब तक उत्तर प्रदेश को 49.95 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5380 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बसावटों का राज्य-वार और संदूषण-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण बसावटों का संदूषण वार ब्यौरा						कुल
		फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	लवणता	नाइट्रेट	भारी धातु	
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	**0**
2	आंध्र प्रदेश	429	0	1	38	4	0	**472**
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	27	0	0	0	**27**
4	असम	256	4293	5212	0	0	7	**9768**
5	बिहार	705	804	2300	0	0	0	**3809**
6	छत्तीसगढ़	281	0	227	0	4	0	**512**
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	**0**
8	गुजरात	0	0	0	0	0	0	**0**
9	हरियाणा	87	0	0	0	0	0	**87**
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	**0**
11	जम्मू एवं कश्मीर	4	0	7	0	0	0	**11**
12	झारखंड	197	19	317	0	0	0	**533**
13	कर्नाटक	262	2	32	15	140	1	**452**
14	केरल	32	0	182	81	32	0	**327**
15	मध्य प्रदेश	143	0	0	10	0	0	**153**
16	महाराष्ट्र	53	0	14	42	66	0	**175**
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	**0**
18	मेघालय	0	0	7	0	0	0	**7**
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	**0**
20	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	**0**
21	ओडिशा	92	0	2111	218	0	0	**2421**
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	**0**
23	पंजाब	330	660	233	15	131	1898	**3267**
24	राजस्थान	4177	0	5	12242	922	0	**17346**
25	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	**0**
26	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	**0**
27	तेलंगाना	0	0	35	174	135	0	**344**
28	त्रिपुरा	0	0	2399	0	0	0	**2399**
29	उत्तर प्रदेश	119	650	346	79	9	0	**1203**
30	उत्तराखंड	0	0	7	0	2	0	**9**
31	पश्चिम बंगाल	1359	7544	5126	428	0	255	**14712**
कुल		**8526**	**13972**	**18588**	**13342**	**1445**	**2161**	**58034**

स्रोत : आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस